<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

5/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वसंतकुमार दुर्गप्पा सज्जन और भूमि दलाल मैबूबअल्लाबुकश दुंदासियन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 3/09/2024 को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई केआईएडीबी से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली दोहरी भुगतान योजना की चल रही जांच का हिस्सा है, जहां 72 करोड़ रुपये का मुआवजा अनुचित तरीके से वितरित किया गया था।

ईडी ने विद्यागिरी पुलिस स्टेशन, धारवाड़ द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत वी डी सज्जन (केआईएडीबी धारवाड़ क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, उपरोक्त एफआईआर को सीआईडी, धारवाड़ को स्थानांतरित कर दिया गया और एफआईआर के संबंध में सीआईडी, धारवाड़ द्वारा आरोप पत्र भी दायर किया गया है। एफआईआर और चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि वी डी सज्जन, एसएलएओ, केआईएडीबी धारवाड़ और केआईएडीबी, धारवाड़ के अन्य अधिकारियों ने भूमि दलालों/अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बहाने सात व्यक्तियों को 19.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मंजूर की। हालांकि, इन व्यक्तियों को पहले मुआवजा दिया जा चुका था। इस प्रकार, सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

केआईएडीबी कर्नाटक राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए नोडल एजेंसी है। वर्ष 2021-22 के दौरान भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में केआईएडीबी से धोखाधड़ी से पैसा निकाला गया है। हालांकि, मूल भूमि विक्रेताओं को वर्ष 2010-12 में मुआवजा दिया गया है। धोखाधड़ी से निकाले गए पैसे को फर्जी पहचान और पते के प्रमाण के साथ खोले गए बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इस धन का उपयोग अचल संपत्ति, वाहन, आवासीय संपत्ति और सावधि जमा प्राप्त करने के लिए किया गया था।

इससे पहले, 9 और 10 अगस्त, 2024 को, ईडी ने कर्नाटक में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये नकद और घोटाले के महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए गए। इन तलाशियों के दौरान एफआईआर राशि से कहीं अधिक दोहरे भुगतान के सबूत मिले।

आगे की जांच जारी है।